न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–96 / 2021 (2021 / 299) दर्ज दिनांक 22.07.2021
प्रकरण अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

1. नवरतनमल आत्मज सोहनलाल महाजन
2. शांतिलाल आत्मज सोहनलाल महाजन

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह आत्मज उदयसिंह झाला
2. अक्षयराजसिंह आत्मज उदयसिंह झाला
3. रेवतसिंह आत्मज शोभागसिंह झाला
4. महिपालसिंह आत्मज शोभागसिंह झाला
5. तेजसिंह आत्मज शोभागसिंह झाला
6. नारायणसिंह आत्मज पर्वतदान झाला
7. रूपसिंह आत्मज पर्वतदान झाला
8. देऊकंवर पुत्री गोरदान झाला
9. लादुसिंह आत्मज गोरदान झाला
10. भैरूलाल आत्मज माधु ब्राह्मण
11. कालुराम आत्मज माधु ब्राह्मण
12. कमला पुत्री माधु ब्राह्मण
13. गोपाल आत्मज कन्हैयालाल सुखववाल
14. देवकृष्ण आत्मज कन्हैयालाल सुखववाल
15. शांतादेवी पत्नि कन्हैयालाल सुखववाल
16. कालु आत्मज किशना जाट
17. चांदी पत्नि कालुराम जाट
18. अम्बालाल आत्मज बेणा जाट
19. सज्जनदेवी पत्नि कन्हैयालाल सुराणा
20. हिम्मत आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
21. अनिल आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
22. सुन्दर आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
23. अशोक आत्मज कन्हैयालाल सुराणा
24. इन्द्रा पुत्री कन्हैयालाल सुराणा
25. हेमलता पुत्री कन्हैयालाल सुराणा
26. नाथु आत्मज गोदु जाट
27. लीला पुत्री किशना जाट नाबालिग बविलायत जरिये माता नोसर पत्नि किशना जाट
28. पुजा पुत्री किशना जाट नाबालिग बविलायत जरिये माता नोसर पत्नि किशना जाट
29. चंदा पुत्री किशना जाट नाबालिग बविलायत जरिये माता नोसर पत्नि किशना जाट
30. नोसर पत्नि किशना जाट

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री रितेश सुराणा

प्रकरण संख्या :–96/2021 (2021/.299)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांकः–06.08.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4721 रकबा 0.27 हे0, 731 रकबा 0.02 हे0, 732 रकबा 0.46 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.75 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 1370 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 18, 26 लगायत 30 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 19 लगायत 25 व 31 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4721 रकबा 0.27 हे0, 731 रकबा 0.02 हे0, 732 रकबा 0.46 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.75 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 1370 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा [illegible] आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश [illegible])
उपखण्ड अधिकारी,
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.